

मलियाना नरसंहार-'मलियाना जल रहा था, पूरी दुनिया ने धुआं देखा, मगर कोर्ट को ये क्यों नज़र नहीं आया?' - ग्राउंड रिपोर्ट

गीता पांडे, बीबीसी संवाददाता

मलियाना में मोहम्मद इस्माइल के परिवार के 11 लोग मारे गए थे। उनमें उनके माता-पिता और भाई-बहन भी शामिल थे।

मेरठ के बाहरी इलाके में बसे मलियाना गांव में 36 साल पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 41 अभियुक्तों को निचले अदालत ने बरी कर दिया है।

मुसलमानों के खिलाफ़ हिंसा के इस मामले में अदालती फैसले ने पीड़ित और उनके परिवारों को गहरी निराशा से भर दिया है।

यूपी के मेरठ शहर के बाहरी इलाके में बसे मलियाना गांव में 23 मई 1987 को 72 मुसलमानों को मार डाला गया था।

आरोप था कि उनकी हत्या स्थानीय हिंदुओं और राज्य के सशस्त्र पुलिस के जवानों ने मिल कर की थी। इस घटना को 'भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा' क़रार दिया गया था।

शक्तिवार को निचली अदालत की ओर से अभियुक्तों को छोड़ने के मामले को आलोचकों ने 'इंसाफ़ का मज़ाक' बताया है।

उत्तर प्रदेश में डीजीपी रहे विभूति नारायण राय ने इस मामले पर बात करते हुए बीबीसी से कहा, "ये राज्य के परी तरह नाकाम साबित होने का मामला है। इसके सभी स्टेकहोल्डर्स यानी पुलिस, राजनीतिक नेतृत्व, पक्षपाती मीडिया और अब न्यायपालिका भी पीड़ितों को न्याय दिलाने में नाकाम रही।"

विभूति नारायण राय और दंगों को विस्तार से कवर कर चुके वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली समेत इसके कुछ पीड़ितों ने 2021 में इलाहाबाद में इस मामले में याचिका दायर की थी। इन लोगों की शिकायत थी मामले की सुनवाई काफ़ी धीमी चल रही थी।

विभूति नारायण राय ने कहा, "जांच में शुरू से ही गड़बड़ी रही है। मुक़दमा साढ़े तीन दशक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगे के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

कुर्बान अली ने कहा कि उनकी एक मांग में उस नरसंहार में पुलिस की भूमिका की दोबारा जांच की भी मांग भी शामिल थी।

हिंसा के शिकार लोगों का कहना था कि हिंसा प्रोविंशियल आर्स्ट कॉन्स्टेबलरी

यानी पीएसी ने शुरू की थी। इस पुलिस बल का गठन बलवां और जाति संघर्ष से निपटने के लिए किया गया था।

एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने मलियाना दंगों में पुलिस के शामिल होने के सुबूतों का दस्तावेजीकरण किया था।

कुर्बान अली कहते हैं कि कोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा की गई थी उनके मृताबिक कम से कम 36 लोगों के शरीर में गोलियों के निशान थे। ये उस समय की बात है जब मलियाना गांव में रहने वाले किसी भी शख्स के पास बंदूक नहीं थी।"

बीबीसी ने मलियाना कांड में पीएसी की कथित भूमिका पर बात करने के लिए संगठन से संपर्क किया। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके पास इस मामले में बात करने का अधिकार नहीं है। पीएसी के प्रमुख को बीबीसी की ओर से ई-मेल भी किया गया था।

इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने जो शिकायत दर्ज की थी, उनमें सिर्फ़ 93 स्थानीय हिंदुओं के नाम अभियुक्त के तौर पर दर्ज किए गए थे। लेकिन मुक़दमे की सुनवाई के दौरान 23 अभियुक्तों की मौत हो गई और 31 'लोगों का कई सुराग' नहीं मिल सका।

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील छोटे लाल बंसल ने बीबीसी से कहा कि ये मुक़दमा इसलिए गिर गया क्योंकि हिंसा के इस मामले के प्रमुख गवाह ने कहा कि उसने पुलिस के दबाव में अभियुक्तों के नाम लिए हैं।

बंसल के मुताबिक, "पुलिस ने चार ऐसे लोगों को नामज़द किया था जो इस नरसंहार के सात-आठ साल पहले मारे जा चुके थे। एक शख्स तो उस समय काफ़ी गंभीर रूप से बीमार था और अस्पताल में भर्ती था।"

बंसल के मुताबिक, "पुलिस ने चार ऐसे लोगों को नामज़द किया था जो इस नरसंहार के सात-आठ साल पहले मारे जा चुके थे। एक शख्स तो उस समय काफ़ी गंभीर रूप से बीमार था और अस्पताल में भर्ती था।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"

बंसल के मुताबिक, "बचाव और अभियोजन तांत्रिक दर्शक से लंबित था। लिहाज़ा हमने हाई कोर्ट में नए सिरे से जांच के लिए याचिका दायर की। हमने सही तरह से सुनवाई करने और दंगों के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने की मांग की थी।"



यानी पीएसी ने शुरू की थी। इस पुलिस बल का गठन बलवां और जाति संघर्ष से निपटने के लिए किया गया था।

कुर्बान अली कहते हैं कि कोर्ट में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा की गई थी उनके मृताबिक कम से कम 36 लोगों के शरीर में गोलियों के निशान थे। ये उस समय की बात है जब मलियाना गांव में रहने वाले किसी भी शख्स के पास बंद